न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 37/18 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2018/00319

उनवान

1. ईश्वरी पुत्र मंगतू
2. रामबल पुत्र मंगतू
3. ओमवती पत्नी किशनलाल
4. डोली पुत्री किशनलाल
5. गीता पुत्री किशनलाल
6. भागवती पुत्री किशनलाल

} जातियान माली नि0 ग्राम इन्द्रोली तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

7. प्रमोद कुमार पुत्र किशनलाल नाबालिग रिफाकत वली माता ओमवती विधवा किशनलाल।
8. पांच्या } पिस0 मंगतू
9. पुन्नी
10. गिर्राजी विधवा मंगतू

} जातियान माली निवासी ग्राम इन्द्रोली तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. प्रेमसुख पुत्र हरभजन
2. बुद्धि पुत्र सुखलाल
3. शोभाराम } पुत्र छुट्टन
4. सूरज
5. रामफूल पुत्र हरभजन (मृतक)
   5/1. रामकुमार } पुत्र रामफूल
   5/2. ईश्वर

} जाति माली निवासी ग्राम इन्द्रौली तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

   5/3. किरनदेई उर्फ पप्पी पुत्री रामफूल पत्नी फूल सिंह जाति माली निवासी ग्राम सहडूंगर तहसील सीकरी जिला भरतपुर।

6 रामहेत } पिसरान किशोरी
7 [illegible]
8 खिल्लू
9. हुक्म
10. रघुनाथ
11. राधाचरन } पिस0 प्रेमसुख
12. खैमचन्द

} जाति माली नि0 ग्राम इन्द्रौली तहसील कॉमा जिला डीग

13. वीरो पत्नी महेन्द्र जाति माली निवासी ग्राम तमरेर तहसील कुम्हेर जिला डीग।
14. तहसीलदार, तहसील कॉमा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कॉमा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कनवाडा दि0 23.05.2018 मि.नं. 93/14 उनवान प्रेमसुख बनाम बुद्धि व अन्य।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री राजेश कुमार गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री समय सिंह व संदीप गुप्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक–19.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कॉमा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कनवाडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट व शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 132/1.32 है0 वाके ग्राम इन्द्रौली तहसील कॉमा पर उभयपक्षकारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार आपसी मनवट के अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं। वादी रैस्पो0 संख्या 01 ने मनवट अनुसार अपने हिस्से की आराजी के कुछ हिस्से में छनिया घर, गैतवाडा आदि बनाये हुये हैं व अन्य आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है एवं इसी प्रकार प्रतिवादी अपीलांट व शेष रैस्पो0 काश्त कर रहे हैं। परन्तु विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इसलिये आये दिन डौल मेड व फसल को लेकर पक्षकारान के मध्य झगडा हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विधिवत विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी के विभाजन का दावा प्रस्तुत हुआ। पक्षकारो के मध्य पूर्व में विभाजन हो चुका है। खसरा नम्बर 132 टेडा मेडा है। जिसका करीब 40 वर्ष पूर्व बॅटवारा हो चुका है। काउन्टर क्लेम भी हुआ। प्रकरण में दिनांक 09.05.2012 को प्राथमिक डिक्री पारित हुयी। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुयी जो दिनांक 08.02.2013 को आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई एवं तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। वादी रैस्पो0 द्वारा केवल खसरा नम्बर 132 का ही विभाजन चाहा गया है। जबकि अन्य आराजी में भी पक्षकारान सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं। वादी रैस्पो0 द्वारा समस्त सहखातेदारी की भूमि को दावे में सम्मिलित नहीं किया है। जबकि विभाजन के दावे में समस्त सहखातेदारी की भूमि को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। उक्त तथ्य को न्यायालय हाजा ने भी अपने पूर्व निर्णय में माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के निर्देशो की कोई पालना नहीं की गयी एवं ना ही निर्णय तनकीवार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में बिना पक्षकार एवं बिना अभिभाषक की उपस्थिति में निर्णय पारित किया है। काउन्टर क्लेम बाबत् भी कोई निर्णय नहीं किया गया एवं ना ही विभाजन प्रस्ताव पर प्राप्त आपत्ति का भी कोई निस्तारण नहीं किया। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2018 का है दिनांक 05.07.2018 को अन्दर मियाद नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परन्तु नकल दिनांक 03.08.2018 को प्राप्त हुयी। अतः नकल मिलने की दिनांक से अपील मियाद अन्दर प्रस्तुत की गयी है। मियाद के बिन्दु पर क्षमा करते हुये। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। तहसीलदार ने दोनों पक्षो को नोटिस जारी कर दोनों पक्षो की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं एवं निर्णय दोनों पक्षो की उपस्थिति में राजस्व कैम्प कोर्ट में सहमति से डिक्री हुआ हैं। न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश में दिये गये निर्देशो की पूर्ण पालना की गयी है। विभाजन प्रस्तावो पर दोनों पक्षो के हस्ताक्षर अंकित हैं। जहॉ तक एक खसरा नम्बर के विभाजन का प्रश्न है। शेष आराजी का पूर्व में विधिवत विभाजन हो चुका है, उन खसरा नम्बरो पर कोई विवाद नहीं है। खसरा नम्बर 132 टेडा मेडा एवं बडा नम्बर है। अतः उसी का बॅटवारा चाहा गया है। इसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अलावा अपीलाण्ट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं मियाद बाहर प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अंत में अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2018 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 16.08.2018 को न्यायालय हाजा में लगभग 24 दिवस की देरी से प्रस्तुत की गयी है। मियाद के संबंध में अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2018 का है दिनांक 05.07.2018 को अन्दर मियाद नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परन्तु नकल दिनांक 03.08.2018 को प्राप्त हुयी। अतः नकल मिलने की दिनांक से अपील मियाद अन्दर प्रस्तुत की गयी है। हमने मनन किया। हमने मनन किया। मियाद का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मियाद के तकनीकी बिन्दु का उपयोग पक्षकारो के अधिकारो को समाप्त करने हेतु नहीं होना चाहिए। न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए है, तकनीकी आधार पर विवाद की उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। यदि अपील गुणावगुण पर पूर्णतः शून्य हो तो ही मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर अपीलाण्ट को रोका जा सकता है। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुए, अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर, हम प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करना वांछनीय पाते हैं।

6. गुणावगुणा पर हम पाते हैं कि न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश दिनांक 08.02.2013 से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई एवं तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त ना तो प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी एवं ना ही न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश दिनांक 08.02.2013 में दिये गये निर्देशो की ही पालना की गयी एवं प्रकरण पक्षकारो के मध्य राजीनामा/सहमति के बिना ही राजस्व लोक अदालत में रखकर अन्तिम डिक्री कर दिया। जबकि किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर में ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है। राजस्व लोक अदालत का भी उद्देश्य केवल यही था कि आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर चल रही पत्रावलियों का निस्तारण किया जावें। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में पक्षकारो के मध्य सहमति ना होते हुये भी प्रकरण का अन्तिम निस्तारण कर दिया एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश में दिये गये निर्देशो की भी पालना नहीं की गयी। अतः इस प्रकार का निर्णय किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2018 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश में दिये गये निर्देशो की पूर्ण रूप से पालना करते हुये एवं उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.03.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19-02-2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर